

समाचार-प्रकाशनार्थ:-

जयवरूडी इन्फ्राकॉन को नोटिस जारी

सीवरेज कार्य का निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा निरीक्षण

रहवासी क्षेत्रों में 19 अप्रैल तक कार्य पूर्ण कये जाने के दिये निर्देश

रतलाम 15 अप्रैल । कलेक्टर एवं प्रशासक श्री गोपालचन्द्र डाड के

निर्देशानुसार 13 स्थानों पर सीवरेज कार्य 19 अप्रैल तक पूर्ण कये जाने

हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने सीवरेज कार्य स्थलों का

निरीक्षण कम्पनी के इंजीनियरों के साथ कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

कलेक्टर एवं प्रशासक श्री गोपालचन्द्र डाड द्वारा लॉकडाउन अव ध में 13

स्थानों पर सीवरेज का कार्य पूर्ण कये जाने की वशेष अनुमति दिये

जाने के पश्चात भी कुछ स्थानों पर कार्य प्रारंभ नहीं कये जाने

अतिरिक्त मी हटानेए रो लंग एवं वाटरिंग तथा रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण

नहीं कये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने जयवरूडी

इन्फ्राकॉन प्रायवेट ल मटेड को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण चाहा है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने स्थलों का निरीक्षण करते हुए

सर्वप्रथम साक्षी पेट्रोल पम्प से नया गांव राधा-कृष्ण मंदिर तक प्रारंभ

कये सीवरेज कार्य का निरीक्षण सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी व पूर्व

पार्षद श्रीमती सीमा टांक के साथ कर कम्पनी के इंजीनियर को कार्य

तेजी से कये जाने के निर्देश दिये ता क नागरिकों को कसी प्रकार की

असु वधा ना हो इसके अलावा खुदाई कार्य के दौरान पेयजल पाईप

लाईनए नल कनेक्शन व दूरसंचार की केबल क्षतिग्रस्त ना हो इसका

वशेष ध्यान रखे जाने हेतु भी निर्देशत कया।

इसके पश्चात निगम आयुक्त श्री झारिया ने सैलाना बस स्टैण्ड पर व्यास

बैकरी से महाराणा प्रताप प्रतिमा तक दोनो तरफ 160 एम.एम. डाय़ा की

150 मीटर कार्य का निरीक्षण करने पर अवगत कराया गया क पाईप

लाईन डालने का कार्य पूर्ण हो चुका है।

इसके पश्चात निगम आयुक्त श्री झारिया ने गेलडा नमकीन से चमारिया

नाका तक 200 एम.एम. डाय़ा की 700 मीटर बिछाई जा रही सीवरेज

लाईन कार्य का निरीक्षण कया जिसमें गेलड़ा नमकीन से घांस बाजार तक लाईन बिछाने का कार्य पूर्ण पाये जाने पर कम्पनी के इंजीनियरों के साथ चमारिया नाका तक का निरीक्षण कर निर्देशत कया क वे इस कार्य को भी तेजी से कर 19 अप्रैल तक कार्य पूर्ण करें इस दौरान उन्होंने फुलमण्डी के पास चल रहे सीवरेज कार्य का भी निरीक्षण कया।

तोपखाना से चांदनी चौक तक चल रहे समतलीकरण कार्य के निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशत कया क रिस्टोरेशन कार्य में तेजी लाये जाने के निर्देश संबंधत को दिये। इसी तरह गौशाला रोड चौराहे पर भी रिस्टोरेशन कार्य कये जाने के निर्देश दिये। निगम आयुक्त श्री झारिया ने हाट की चौकी चौराहा से सुभाष नगर की सीवरेज लाईन जोड़ने के कार्य का निरीक्षण कया।

निरीक्षण के दौरान अवगत कराया गया क हाट की चौकी चौराहा पर 200 एम.एम. डायी की 50 मीटरए आशीर्वाद नर्सिंग होम गली से हाट रोड पर पुलस चौकी तक 200 एम.एम. डायी की 150 मीटरए भांभी मोहल्ले से गौशाला चौराहा तक 160 एम.एम. डायी की 50 मीटरए गेलड़ा नमकीन से चमारिया नाका तक 200 एम.एम. डायी की 700 मीटरए नागरिक वश्राम गृह से आरोग्य हॉस्पिटल तथा निगम तिराहे तक 160 एम.एम. डायी की 230 मीटरए सैलाना बस स्टैण्ड पर व्यास बैकरी से महाराणा प्रताप प्रतिमा तक दोनो तरफ 160 एम.एम. डायी की 150 मीटरए द्वारका रेसीडेंसी से राम मंदिर तिराहा तक तथा सन सटी से अरिहंत कॉलेज तक (सैलाना रोड) 200 एम.एम. डायी की 2392 मीटर व सांव लया बिल्डिंग मटेरियल टैंकर रोड से शनि मंदिर गली तक 160 एम.एम. डायी की 350 मीटर व पूर्व पार्शद श्रीमती सीमा टांक के घर से साक्षी पेट्रोल पम्प तक 200 एम.एम. डायी की 120 मीटर पाईप लाईन बिछाने का कार्य कया जा रहा है।

5 के स्थान पर 4 कचरा ट्रांसफर स्टेशन होंगे

वनोबा नगर के कचरा ट्रांसफर स्टेशन को कया बंद

रतलाम 15 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर के 5 कचरा ट्रांसफर स्टेशन अमृत सागरए वरियाखेडीए ईश्वर नगरए

वनोबा नगर व पोलोग्राउण्ड में से वनोबा नगर के कचरा ट्रांसफर स्टेशन को स्थाई रूप से बंद किया गया है अब वनोबा नगर आने वाला कचरा पोलोग्राउण्ड कचरा ट्रांसफर स्टेशन पर ले जायेगा।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने स्वास्थ्य अधिकारी एं डोन प्रभारी एं वार्ड दरोगा एं सफाई संरक्षक एं कचरा संग्रहण वाहन चालक व हैल्परों को निर्देशित किया क वनोबा नगर में अब कसी भी प्रकार का कचरा खाली नहीं किया जायेगा यहां आने वाला कचरा पोलोग्राउण्ड कचरा ट्रांसफर स्टेशन पर ले जाया जायेगा जहां सूखा कचरा ग्रीन नेट के अन्दर खाली कर गीला कचरा काम्पेक्टर में लोड किया जाकर जुलवानिया प्रतिदिन भेजा जायेगा।

खुले में गंदगी करने पर वी.एस. मे डकोस पर जुर्माना

रतलाम 13 अप्रैल । घांस बाजार क्षेत्र में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निरीक्षण के दौरान खुले में कचरा पाये जाने पर वी.एस. मे डकोस पर 500 रूपये का जुर्माना कर भ वष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं कये जाने के निर्देश संबंधित को दिये।

नगर निगम द्वारा नागरिकों एवं दुकानदारों से अपील की जाती है क वे अपनी दुकानों एवं घरों से निकलने वाले कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन में ही डालें खुले में कचरा डाले जाने पर संबंधित के वरुद्ध जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी व इसकी पुनरावृत्ति होने पर दुकान सील करने की कार्यवाही की जावेगी।

कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु प्रतिदिन किया जा रहा है सेनेटाईजेशन का कार्य

रतलाम 15 अप्रैल। रतलाम नगर के नागरिकों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने हेतु जिला कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम गोपालचन्द्र डाड के निर्देशानुसार निगम के व भन्न वाहनों के माध्यम से सो डयम हाईपोक्लोराईड से सेनेटराईज किया जा रहा है साथ ही माईक्रो कन्टेनमेंट क्षेत्रों में भी हैण्ड मशीन से सेनेटाईजेशन किया जा रहा है।

नगर निगम द्वारा प्रतिदिन फायर लॉरी व टेक्टर ट्रॉली से नगर के व भन्न क्षेत्रों की सड़कों व लयों व भवन आदि को 1 प्रतिशत सो डियम हाईपोक्लोराईड मलाकर 1 लाख लीटर से सेनेटराईज किया जा रहा है। 15 अप्रैल गुरुवार को सूरज हॉल व वेदव्यास कालोनी व काटजू नगर सहित नगर के व भन्न क्षेत्रों में सेनेटाईजेशन किया गया। इसके अलावा 14 व्यक्तियों की टीम द्वारा हैण्ड मशीन के माध्यम से मेडिकल कॉलेज व माईक्रो कन्टेनमेंट क्षेत्र व कलेक्टर व गांधी नगर टीआईटी बिल्डिंग व अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल व ई-दक्ष कार्यालय व नगर निगम कार्यालय सहित शासकीय कार्यालयों आदि में सेनेटराईजेशन का कार्य किया गया।

नगर के सेनेटराईज किये जाने के साथ ही स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में सफाई का कार्य किया जा रहा है व सफाई उपरान्त सफाई स्थल व नालयों में कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है।

मास्क नहीं लगाने पर होगा जुर्माना

रतलाम 15 अप्रैल। कलेक्टर एवं प्रशासक श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार कोवड-19 (नोवल कोरोना वायरस) के संक्रमण को रोकने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नगर निगम के स्पॉट फाईन दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

म.प्र. लोक स्वास्थ्य अधिनियम-1949 के अन्तर्गत कोवड-19 (नोवल कोरोना वायरस) के कारण होने वाली महामारी को संक्रामक बीमारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। उक्त बीमारी संक्रमित वस्तु को स्पर्श तथा संक्रमित व्यक्ति के छींकने व खांसने तथा थूकने से बहुत तेजी से फैलती है। उक्त बीमारी की रोकथाम हेतु शासन द्वारा मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया है। नागरिकों से अपील है कि वे अनिवार्य रूप से मास्क लगायें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

नागरिकों के सहयोग से स्वच्छता में रतलाम नगर बनेगा नम्बर 1

नगर के सभी 49 जीरो वेस्ट वार्डों में घर-घर से कया जा रहा है कचरा एकत्रीकरण

रतलाम 15 अप्रैल। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार रतलाम नगर के सभी 49 वार्डों को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया जा चुका है जिसके तहत स्व सहायता समूह की रैग पकर्स महिलाओं को शहर में ही रोजगार मलने के साथ ही सूखे कचरे का निष्पादन भी कया जा रहा है इस कार्य में रतलाम नगर के नागरिक भी जागरूक हो चुके हैं नागरिकों के सहयोग से ही रतलाम नगर स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में नम्बर 1 बनेगा।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क नगर के सभी 49 वार्डों को जीरो वेस्ट वार्ड बनाये जाने से वार्डों की सड़कों ग लयों एवं नालयों में कचरे की मात्रा कम हुई है नागरिक भी प्रातः अपने घरों दुकानों से निकलने वाले कचरे का स्वयं गीले एवं सूखे कचरे पृथक्कीकरण कर कचरा संग्रहण वाहन में डाला जा रहा है इस कार्य में रैग पकर्स महिलाओं द्वारा भी पुरा सहयोग कया जा रहा है। निगम कचरा संग्रहण वाहन के सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली कया जाकर रैग पकर्स महिलाओं द्वारा पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पै कंग मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि को पृथक कर कबाड़ी को बेचा जा रहा है जिसका कबाड़ी द्वारा रजिस्टर भी संधारित कया जा रहा है।

वार्डों में कचरा संग्रहण वाहन के साथ दुर्गा व ईश्वर स्व सहायता समूह रैग पकर्स महिलाए आई.ई.सी. टीम के सदस्यए वार्ड पर्यवेक्षकए दरोगाए इंजीनियर आदि ने वार्ड के 100 प्रतिशत घरों पर जाकर नागरिकों से गीला एव सूखा कचरा पृथक-पृथक प्राप्त कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक वाहनों में डाला। संग्रहित कये गये सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली कर समूह की महिलाओं द्वारा कचरे की छंटती कर एकत्रित कया गया। नागरिकों से अपील जाती है क वे अपने घरों एवं दुकानों से निकलने वाले गीले एवं सूखे कचरे को पृथक-पृथक कचरा पात्रों में एकत्रित कर अपने घर के बाहर रख दें निगम द्वारा उसे कचरा संग्रहण वाहन में पृथक-पृथक डाला जायेगा।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया क स्व सहायता समूहों की रैग पकर्स महिलाएँ अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन करने के लये अपने बच्चों के साथ जुलवानिया टे^a चंग ग्राउण्ड पर सूखे कचरे से प्लास्टिक रबर बॉटल व अन्य सामग्री अलग-अलग करके कबाड़ी को वक्रय कर नारकीय जीवन व्यतीत कर रही थी। जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के तहत अब जुलवानिया की रैग पकर्स महिलाओं को वार्डों में ही काम मलने लगा है व इनकी सुरक्षा के लये निगम द्वारा एप्रीन ए ग्लबस ए मास्क आदि उपलब्ध कराये गये है। इन्हे वार्ड में ही कार्य मलने से इनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

गंदगी का मुख्य कारण है पॉलीथीन इस लये 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन को पूर्णतः बंद कया जाना है इस हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने सभी वार्ड पर्यवेक्षक ए दरोगा ए स्पॉट फाईन दल यह निगरानी रखें क इसका भण्डारण कहां होता है व वक्रय कौन कौन करता है सही जानकारी प्राप्त होने पर संबंधत की पॉलीथीन जब्त की जाकर फुटकर व्यवसायियों पर 50 व दुकानदारों पर 5000 का स्पॉट फाईन कया जाये।

निगम अ धकारी एवं कर्मचारी कोरोना का

दुसरा टीका अनिवार्य रूप से लगवायें

रतलाम 15 अप्रैल। नगर निगम के अ धकांश अ धकारी एवं कर्मचारियों ने कोरोना का दुसरा टीका लगवा लया है कन्तु कुछ अ धकारी एवं कर्मचारी दुसरे चरण के टीके से वंचत है वे अपनी व अपनों की सुरक्षा हेतु अनिवार्य रूप से टीका लगवायें।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क कोरोना जैसी महामारी से आप सभी सुरक्षत रहे यह शासन एवं नगर निगम का उद्देश्य है । टीकाकरण से शेष रहे अ धकारी एवं कर्मचारी जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित टीकाकरण केन्द्र पर उपस्थित होकर अनिवार्य रूप से टीका लगवायें। ऐसे अ धकारी एवं कर्मचारी जो क टीकाकरण में रूच नहीं दिखा रहे है उनके वरुद्ध नगर निगम द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

खुले में गंदगी करने व पॉलीथीन का वक्रय व उपयोग करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 15 अप्रैल । नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले में नाले-ना लयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रयए उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना कये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट फाईन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।

गठित दल में वराट मेहराए उप स्वच्छता पर्यवेक्षक मो.नं. 9770326691 को दल प्रभारी नियुक्त कया है इसके अलावा मनोज टांक मो.नं. 7000848456ए पवन झांझोट मो.नं. 7000128812ए आकाष षन्दे मो.नं. 9424075393ए मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110ए राकेष ललावत मो.नं. 7000128812 दल प्रभारी के साथ रहकर नगर में नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले में नाले-ना लयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रयए उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते है उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही करेंगे।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है क षहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी उक्त मोबाईल नम्बरों पर देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 15 अप्रैल । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डों की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-ना लयों आदि समु चत सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-ना लयों में कचरा पाये जाने पर संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लिये नगरिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 15 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरों व दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित किये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सटीजन फीडबैक लिया।

सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 15 अप्रैल । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाडए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिये भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर

निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के व भन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मशन के तहत कये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लये अपने एन्ड्रॉयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करें। उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण कया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदारों को रखना होंगे 4 डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 15 अप्रैल । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अप शष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे हैं व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पत्तियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लये हरा डस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पै कंग मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि के लये नीला डस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लये पेन्ट के डब्बेए पेस्टीसाइड के डब्बेए सीएफएलए

ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लये काला डस्टबीन तथा मे डकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए संरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के व भन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबं धत के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार/ज.सं. व. हेमन्त/15ण04ण2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.